न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 650/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1365/2026]

[CNR No. UPFZ010038652026]

अंशू मौर्या पुत्र दीनानाथ मौर्या, निवासी ग्राम सरायखर्गी, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 650/2026, मुकदमा अपराध संख्या 165/2026, अन्तर्गत धारा 103(1), 309(4), 317(2), 238(b), 140(1), 61(2)(a) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के मुकदमें में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे व सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार होना, जिसमें उसके पास से 02 अदद मोबाइल फोन बरामद होना तथा बरामदशुदा कार का चालक होना बताया गया है। उसके केवल किन्नरों का वाहन चालक होने के नाते फंसाया गया है। पुलिस द्वारा तैयार फर्द बरामदगी संदिग्ध है। उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है। वह दिनांक 20.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क किया गया कि यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.14 17:05:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिपोर्ट में नामित नहीं है, परन्तु दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। प्रकरण हत्या जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अभिनाश दूबे का बड़ा भाई अभिषेक दूबे एक माह पूर्व रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर घर से गये थे। वादी को आज जानकारी हुई कि शाम लगभग 6.30 बजे वादी के भाई को 02 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से निधियावां की तरफ से लाकर घायल अवस्था में धरमपुर सड़क मार्ग के किनारे फेंककर भाग गये हैं। वादी के भाई को एम्बुलेन्स एवं पुलिस की मदद से बीकापुर सी०एच०सी० लाया गया। वादी भी अपने परिवार व परिचितों के साथ अस्पताल पहुंचा और देखा कि भाई के शरीर पर जगह–जगह काफी चोटें हैं। भाई को जिला अस्पताल एम्बुलेन्स से लाया गया, जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके भाई की मृत्यु उनके शरीर पर चोटों के कारण हुई है।

8. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 165/2026, अन्तर्गत धारा 103(1) भा०न्या०सं० में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आना एवं अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर मामले में अन्तर्गत धारा 309(4), 317(2), 238(b), 140(1), 61(2)(a) भा०न्या०सं० की बढ़ोत्तरी होना कहा गया है। केस डायरी के अनुसार दिनांक 19.05.2026 को अभियुक्तगण अंशू मौर्या, नताशा किन्नर व विजय ढोलकिया को गिरफ्तार किया जाना एवं अभियुक्तगण के कब्जे से इको गाड़ी संख्या UP42BL8416, मृतक की मोटरसाइकिल नम्बर UP42CC1991, मृतक का मोाबाइल सहित कुल 05 अदद मोबाइल सेट, आलाकत्ल 02 डण्डा बरामद होना एवं अभियुक्तगण के बताने पर घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण सुनील डांसर, पिंकी मिश्रा किन्नर, तन्नू किन्नर, नैना किन्नर का नाम प्रकाश में आना कहा गया है। केस डायरी पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र कारित करते हुये मृतक का अपहरण कर उसके मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन की लूट कारित करते हुये मृतक को डण्डा व लात–घूंसों से मारपीट कर मृत्यु कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्युपूर्व कुल

16 चोटें शरीर के विभिन्न स्थानों पर आना एवं मृत्यु का कारण, "Due to shock and heamorrhage as a result of Multiple antemortem injuries." होना अंकित है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रकरण हत्या जैसे गम्भीरतम अपराध से सम्बन्धित है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत का संतोषजनक आधार नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 650/2026, मुकदमा अपराध संख्या 165/2026, अन्तर्गत धारा 103(1), 309(4), 317(2), 238(b), 140(1), 61(2)(a) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के अभियोग में आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 14.07.2026